युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
UNITED INDIA INSURANCE CO. LTD.
Registered & Head Office: 24, Whites Road, Chennai-600 014.

पेंशन विभाग: **06 दिसम्बर, 2019**

संदर्भ: वर्ष 2020 के लिए पेंशनधारक "जीवन प्रमाण पत्र" प्रस्तुत करना

हर साल, सभी पेंशनधारकों और परिवार के पेंशनधारियों को पेंशन भुगतान जारी रखने के लिए जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। पिछले वर्ष की तरह, वर्ष 2020 के लिए जीवन प्रमाण पत्र हमारे ईएसएस एचसीएम पोर्टल के जरिए ऑनलाइन में जमा करना है। एमओ /बीओ /डीओ /सर्विस हब /आरओ /एलसीबी /एचओ में सभी श्रेणी-I के अधिकारी पोर्टल में लागिंग करके जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन में जमा करने के लिए आने वाले पेंशनधारकों को सुविधा प्रदान कर सकते हैं। पेंशनधारक जीवन प्रमाण पत्र टैब, ईएसएस एचसीएम पोर्टल मे 01.01.2020 से 29.02.2020 तक केवल दो महीने की अवधि के लिए खुला रहेगा | जो पेंशनधारक 01.02.2020 को या उससे पहले जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हैं उनकी पेंशन बिना किसी रुकावट के जारी रहेगी और जो 01.02.2020 के बाद जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हैं, उनकी पेंशन को ऐसे समय तक रोक दिया जाएगा और उसके बाद जारी किया जाएगा। 01.03.2020 से, पेंशन जीवन प्रमाणपत्र टैब स्वतः रूप से अक्षम हो जाएगा और नये जीवन प्रमाणपत्र प्रस्तुतीकरण पर विचार नहीं किया जाएगा।

जीवन प्रमाण पत्र -2020 को जमा करने की प्रक्रिया नीचे दी गई है:

1. <u>सत्यापन अधिकारी</u> - कोई भी श्रेणी -I अधिकारी, पेंशनधारक "जीवन प्रमाण पत्र" टैब का चयन करके ईएसएस एचसीएम पोर्टल के जरिए जीवन प्रमाण पत्र - 2020 प्रस्तुत करने की सुविधा दे सकता है।

2. <u>पेंशनकर्ता पहचान</u> - पहचान उद्देश्य के लिए, पेंशनधारकों को फोटो आईडी प्रूफ जैसे– पेंशनधारक आईडी कार्ड, मतदाता पहचान-पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट आदि को सत्यापन करने वाले अधिकारी को प्रस्तुत करना पड़ेगा|

3. <u>बेसिक डाटा</u> - पेंशनधारकों / परिवार पेंशनधारक की वार्षिकी संख्या को ईएसएस एचसीएम पोर्टल के "जीवन प्रमाण पत्र" टैब में देने पर, सिस्टम डेटाबेस से पेंशनधारकों के मूल आंकड़े लेगा। अगर वार्षिकी संख्या आसानी से उपलब्ध नहीं है, तो अन्य खोज विकल्प जैसे कर्मचारी संख्या या जन्म तिथि या वार्षिकी का नाम डेटा प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

4. <u>डेटा में सुधार</u> - डेटा में कोई भी बदलाव जैसे आवासीय पता / ई-मेल आईडी में किए गए परिवर्तनों की शुद्धता सत्यापन अधिकारी द्वारा जॉच करने के बाद सुधार विकल्प का उपयोग कर किया जा सकता है। यदि आधार संख्या पहले से ही उपलब्ध नहीं है तो उसे अब भरा जा सकता है। कृपया ध्यान दें कि आवश्यक्तानुसार पेंशनधारकों के साथ आसान संचार की सुविधा के लिए मोबाइल नंबर का प्रावधान अनिवार्य कर दिया गया है।

5. <u>बैंक विवरण का सुधार</u> - डिफ़ॉल्ट रूप से, बैंक विवरण फ़ील्ड को गैर-संपादन योग्य बनाया गया है। यदि बैंक विवरण में कोई परिवर्तन होता है, तो पेंशनधारक से अनुरोध किया जाता है कि वह उल्लेखित बैंक विवरण के साथ पहले जीवन प्रमाणपत्र ऑनलाइन जमा करें और फिर कैन्सेल्ड चेक लीफ की प्रति के साथ ईसीएस मैन्डेट फॉर्म भरकर बैंक परिवर्तन को सूचित करें। पेंशनधारक ईसीएस मैन्डेट फॉर्म और चेक लीफ कॉपी या तो सीधे पेंशन विभाग को भेज दें या फिर आगे प्रस्तुत करने के लिए सत्यापन अधिकारी को सौंप दें।

6. <u>जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना</u> - डेटा में आवश्यक सुधार करने के बाद, सत्यापन अधिकारी को उसी से एक प्रिंट लेने से पहले जीवन प्रमाण पत्र -2020 को "सबमिट" करेगा। जीवन प्रमाण पत्र -2020 की हार्ड कॉपी को दोनो सत्यापन अधिकारी एवं पेंशनधारक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा और मूल जीवन प्रमाण पत्र को रिकॉर्ड के लिए प्रधान कार्यालय, पेंशन विभाग को भेज दिया जाएगा।

7. <u>नवंबर और दिसंबर 2019 में सेवानिवृत्ति</u> - नवंबर और दिसंबर 2019 के महीनों में सेवानिवृत्त होने वालों को वर्ष 2020 के लिए अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की आवश्यकता नहीं है।

<u>इस अवधि के दौरान विदेश में रहने वाले पेंशनधारक:</u>

यदि पेंशनधारक / पारिवारिक पेंशनधारक विदेश में रह रहा है, तो वह जीवन प्रमाणपत्र -2020 के "ऑफ़लाइन" फ़ॉर्म के लिए अनुरोध करने के लिए प्रधान कार्यालय पेंशन विभाग (hopension@uiic.co.in) को एक मेल भेज सकता है। पेंशन विभाग एक ऑफलाइन फ़ॉर्म जेनरेट करेगा और पेंशनधारकों को उसको अग्रेषित करेगा जो वहाँ के भारतीय दूतावास / किसी भी जिप्सा कंपनी / किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक / उस देश के नोटरी पब्लिक से प्रमाणन प्राप्त करने के बाद, जहां पेंशनधारक / पारिवारिक पेंशनधारक रहता है, प्रस्तुत किया जाएगा ।

<u>बीमारी के कारण चलने - फिरने में असमर्थ पेंशनधारक:</u>

यदि कोई पेंशनधारक बीमारी के कारण अपने निवास स्थान से बाहर जाने की स्थिति में नहीं है, तो पेंशनधारक का परिवार, किसी पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर से प्राप्त मेडिकल सर्टिफिकेट, जो पेंशनर की चलने – फिरने में असमर्थता का उल्लेख करेगा, के साथ निकटतम यूआईआईसी कार्यालय से सीधे संपर्क करें। संबंधित कार्यालय जीवन अस्तित्व की पुष्टि करके जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की सुविधा प्रदान करेगा।

यह एक बार पुनः दोहराया जा रहा है कि 01.01.2020 और 29.02.2020 के बीच ईएसएस पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत जीवन प्रमाणपत्र ही पेंशन जारी रखने के लिए स्वीकार किया जाएगा।

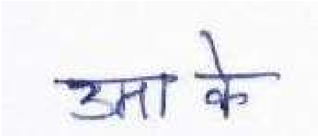

(उमा स्वामिनाथन)
मुख्य प्रबंधक